राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स. 24–(2) स्था. / एपीओ / नियुक्ति / अभि. / 2026 / 01273 /   दिनांकः– ई हस्ताक्षरित

आदेश

सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से पत्र क्रमांक एफ. 7 (37) आर / एचडी(पी) / एपीओ / आरपीएससी / 2023–24 / 1127 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा प्राप्त हुयी, जिसके क्रम में अभियोजन निदेशालय में गठित विभागीय समिति की अनुशंषा पर राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नीचे उक्त आदेश की तालिका में वर्णित अभ्यर्थीगणों को निम्न शर्तो पर सहायक अभियोजन अधिकारी (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26(1) में वर्णित शर्तो के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दो वर्ष का परीविक्षा काल पूर्ण करना होगा।
2. परिवीक्षाधीन / प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी / रूल्स / 05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी / रूल्स / 05 दिंनाक 13.03.06, 1(2) एफडी / रूल्स / 06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी / रूल्स / 03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 26500 / – (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–11 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।
4. परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(34)वित्त / बीमा / 2025 लूज–II जयपुर दिनांक 12.06.2026 के अध्यधीन रहेंगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियॉ की जा सकेगी।
5. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी। परीविक्षा / प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।
6. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों / परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश / परिपत्र लागू होगें।
7. अभ्यर्थी को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरक्षित वेतन नियम 2017 की अनूसूचि 1(पार्ट–1)नियम–5 (V) के अनुसार पे– मेट्रिक्स में पे–लेवल (एल–11) में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगे।
10. चयनित अभ्यर्थी के आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने अंकित सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट / सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यर्थी नियुक्त के समय संबंधित उप निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगा कि उनके संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पद ग्रहण करने की तिथि तक उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है इस आशय

का रूपये 50/– नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प संबंधित कार्यालयध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त नवनियुक्त अभ्यार्थी सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं है।

उक्त अभ्यर्थीगण 15 कार्य दिवस प्रशिक्षण हेतु निम्न कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें:–

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म दिनांक	गृह जिला	प्रशिक्षण कार्यालय
1.	R-1	सुश्री पारूल खुब्बर, पुत्री श्री सुखबीर सिंह निवासी:– 243 गुन्दियाना, रादौर, यमुनानगर, हरियाणा –133103	सामान्य	31.08.2000	यमुनानगर हरियाणा	उ0नि0अ0, जयपुर प्रथम
2.	R-2	सुश्री अक्षिका अग्रवाल पुत्री श्री नवल किशोर अग्रवाल निवासी:– 146–बी, श्रीराम नगर–ए, खिरणी फाटक रोड, भौमिया मार्ग, झोटवाडा, जयपुर–302012	सामान्य	23.08.2000	जयपुर	उ0नि0अ0, जयपुर देहात
3.	R-3	सुश्री आशी दराल, पुत्री श्री अशोक कुमार दराल निवासी:– 20–ए, एकता इन्क्लेव, पीरा गढी, पश्चिम दिल्ली– 110087	सामान्य	25.08.2000	पश्चिम दिल्ली	उ0नि0अ0, कोटपूतली–बहरोड
4.	R-4	सुश्री प्रिया चौहान पुत्री श्री भवानी सिंह चौहान निवासी:– 1–2 हिम्मत निवास, पृथ्वीपुरा, रसाला रोड, जोधपुर– 342006	ओबीसी	06.06.2000	जोधपुर	उ0नि0अ0, जोधपुर

नोट:–उक्त अभ्यार्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(तिरूपति कुमार गुप्ता)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

01.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
02.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
03.निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह।
04.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
05.निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
06.संयुक्त निदेशक अभियोजन, जयपुर–प्रथम/द्वितीय/जोधपुर एवं उप निदेशक अभियोजन, जयपुर–प्रथम/देहात, कोटपूतली–बहरोड/जोधपुर।
07.सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यार्थियों सुश्री......................को (रजिस्टर्ड डाक द्वारा) प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उपनिदेशक अभियोजन कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र निदेशालय को प्रेषित करें।
08.निजी पत्रावली /समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
09.रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref No.:
23021667

Signature Not Verified
Digitally Signed by TIRUPATI KUMAR GUPTA
Designation : Director
Date :24-06-2026
13:58:34